राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमॉकः– एफ.13/5/12/वीएस/डीईएस/2013/ 37349-91 दिनॉकः– 9/10/14

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप निदेशक/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.......

विषयः– जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य वेबपोर्टल पहचान पर ऑनलाईन करने एवं डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में आमजन के लिये जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन के कार्य के सरलीकरण एवं कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनॉक 01 जनवरी 2014 से सभी रजिस्ट्रार इकाईयों द्वारा पंजीयन का कार्य वेब पोर्टल पहचान के माध्यम से ही करने के निर्देश कार्यालय के पत्रांक 43124–56 दिनांक 11.11.2013 द्वारा जारी किये गये थे। वेब पोर्टल पहचान पर कार्य प्रारम्भ करने के कार्य की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ है कि अभी भी अधिकांश रजिस्ट्रार इकाईयों द्वारा पंजीयन का कार्य वेबपोर्टल पर ऑन लाईन नहीं किया जाकर मैनुअल किया जा रहा है जो पूर्व में जारी किये गये निर्देशो के अनुरुप नहीं है। अतः रजिस्ट्रीकरण कार्य को निर्देशों के अनुरूप किये जाने हेतु पुनः निर्देश दिये जाते है कि:–

1. राज्य की सभी रजिस्ट्रार इकाईयों द्वारा जन्म–मृत्यु पंजीकरण का कार्य दिनांक 10.10.2014 से पहचान वेबपोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाईन प्रक्रिया से ही सम्पादित किया जावे। दिनांक 10.10.2014 के पश्चात मेन्युअल/ऑफलाईन प्रक्रिया द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे।

2. दिनांक 30.09.2014 तक किये गये मेन्युअल पंजीयन के प्रकरणों को दिनांक 10.10.2014 तक वेबपोर्टल पर Legacy Data के रूप में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। इस तिथि के पश्चात Legacy Data प्रविष्टि पर रोक लगा दी जावेगी।

3. भामाशाह योजना के अन्तर्गत राज्य में अधिकांशतः ग्राम पंचायतों के सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर जारी कराये जा चुके है अतः जन्म–मृत्यु पंजीयन में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने हेतु सभी रजिस्ट्रारों के डिजिटल हस्ताक्षरों को पहचान वेबपोर्टल पर रजिस्टर कराने की कार्यवाही अविलम्ब की जावे ताकि आमजन को प्रमाण पत्र की प्रतियां ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा सके।

4. निदेशालय द्वारा पूर्व में सभी शहरी निकायों के रजिस्ट्रारों एवं चिकित्सा संस्थानों के उपरजिस्ट्रारों के डिजिटल हस्ताक्षर के आवेदन तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन अभी भी अधिकांश जिलों से निर्धारित संख्या में आवेदन प्राप्त नही हुए है। अतः अविलम्ब शहरी निकायों के रजिस्ट्रारों एवं चिकित्सा संस्थानों के उपरजिस्ट्रारों के डिजिटल हस्ताक्षर हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।

5. सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक एफ–11(135) /DOIT/Project/12/spl/दिनांक 06.10.2014 जारी कर निर्देशित किया है कि सभी विभाग अपने अधीनस्थ कार्मिकों को ई–मित्र कियोस्क पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की सलाह दे, जिस हेतु विभाग द्वारा ई–मित्र कियोस्क धारको को अतिरिक्त शुल्क देय नहीं है।
अतः आप अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रारों (जन्म–मृत्यु) को वेबपोर्टल 'पहचान' पर कार्य करने हेतु अपने क्षेत्र की ई–मित्र/सी.एस.सी. पर इस सुविधा का लाभ लेने हेतु निर्देशित करावें।

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।

क्रमॉकः– एफ.13/5/12/वीएस/डीईएस/2013/ 37982-83 दिनॉकः– 9-10-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री आर.के.शर्मा, सिस्टम एनालिसिस्ट कम संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।

संयुक्त निदेशक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।